

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः— मुसप्र/नीलामी/2018/H/123

दिनांकः— १०/७/१८

### कार्यालय आदेश

आवासीय योजना, इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा जयपुर के उच्च आय वर्ग (पूर्ण निर्मित) एक स्वतन्त्र आवास संख्या 10/H/123 को आवासीय अभियन्ता खण्ड-ग्यारह/उप आवासन आयुक्त-तृतीय/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, जयपुर द्वारा नीलामी के माध्यम से निस्तारित किये जाने की अनुशंसा है। नीलामी से निस्तारित किये जाने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

उपरोक्त अवधिष्ठ 1 स्वतन्त्र आवासों को नीलामी के माध्यम से निस्तारण निम्न शर्तों पर किया जाना प्रस्तावित है :-

1. आवासीय योजना में आवास/फ्लेट/आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याची को आवास/फ्लेट आवंति करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हों लम्बित नहीं है।
2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर, इस तथ्य को प्रमाणन भी किया जावे कि उस योजना में नीलामी योग्य अन्य आवासीय संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मण्डल के आदेशांक राजस्व/11/2014-15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावे।
3. आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचारधीन नहीं है। “निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।
5. आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के प्रस्तावों के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावे।

उक्त आदेशों को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

८८

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, रा० आ० मा०, जयपुर।
4. निजी सचिव-वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अति० निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा०आ०म० जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, रा०आ०म०, वृत् तृतीय।
6. आवासीय अभियन्ता, खण्ड ग्यारह, रा०आ०म० जयपुर।
7. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
8. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु०), रा०आ०म०, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक